रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-253000
CG-DL-E-14032024-253000

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 167] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

सा.का.नि. 179(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है;

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ...संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में यथा निहित के अलावा, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में उल्लिखित) के नियम 125 में, उप-नियम (1) में दूसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"बशर्ते कि [1 अप्रैल 2025] को और उसके बाद निर्मित एम, एन और एल7 श्रेणियों के यानों पर लगे सुरक्षा बेल्ट असेंबली और सुरक्षा बेल्ट एंकरेज, क्रमशः समय-समय पर संशोधित आईएस 15140:2018 और समय-समय पर संशोधित आईएस 15139:2002(2018 में पुन:पुष्टि किए गए), के अनुरूप होंगे ।

बशर्ते कि [1 अप्रैल 2025] को और उसके बाद निर्मित यानों पर सुरक्षा बेल्ट और रीस्ट्रेंट प्रणाली समय-समय पर संशोधित आईएस 16694:2018 के अनुरूप लगाए जाएंगे।"

3. उक्त नियमों में, नियम 125 में, उप नियम (1ए) में, दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्: -

"बशर्ते कि [1 अप्रैल 2025] को और उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के मोटर यानों के लिए, मोटर यानों में सुरक्षा बेल्ट असेंबली और सुरक्षा बेल्ट एंकरेज के विनिर्देश, क्रमशः समय-समय पर संशोधित आईएस 15140:2018 और आईएस 15139:2002 (2018 में पुन:पुष्टि किए गए), के अनुरूप होंगे।

बशर्ते कि [1 अप्रैल 2025] को और उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के यानों पर सुरक्षा बेल्ट और रीस्ट्रेंट प्रणाली समय-समय पर संशोधित आईएस 16694:2018 के अनुरूप लगाई जाएंगी।"

4. उक्त नियमों में, नियम 125 में, उप नियम (9) और (10) में अंको, अक्षरों और शब्दों "एआईएस-145-2017" के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द "एआईएस-145-2018" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 125 में, उपनियम (9) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि [1 अप्रैल 2025] को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के यान, एआईएस-145-2018 के अनुसार पीछे की सभी फ्रंट फेसिंग सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करेंगे।"

[फा. सं. आरटी-11028/22/2016-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. .... (अ), दिनांक...........द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2024

G.S.R. 179(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (………….. Amendment) Rules, 2024.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 125, in sub-rule (1) after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely: –

"Provided further that Safety Belt Assemblies and safety belt anchorages, fitted on vehicles of categories M, N and L7 manufactured on and after [1st April 2025], shall conform to IS 15140:2018, as amended from time to time and IS 15139:2002 (reaffirmed 2018), as amended from time to time, respectively.

Provided further that the installation of Safety Belts and Restraint Systems on vehicles manufactured on and after [1st April 2025] shall conform to IS16694:2018 as amended from time-to-time."

3. In the said rules, in rule 125, in sub rules (1A), after the second proviso, the following proviso shall be inserted namely: -

Provided further that for motor vehicles of category M1 manufactured on and after [1st April 2025], the specifications of Safety Belt Assemblies and Safety Belt Anchorages in motor vehicles shall conform to IS 15140:2018, as amended from time to time and IS 15139:2002 (reaffirmed 2018), as amended from time to time, respectively.

Provided further that the installation of Safety Belts and Restraint Systems on vehicles of M1 category manufactured on and after [1st April 2025] shall conform to IS16694:2018 as amended from time-to-time."

4. In the said rules, in Rule 125, in sub rules (9) and (10) for the figures, letters and words "AIS-145-2017", the figures, letters and words "AIS-145-2018" shall be substituted.

5. In the said rules, in Rule 125, in sub rules (9) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the vehicles of category M1, manufactured on and after the [1st April 2025], shall meet the requirement of safety belt reminder for all front facing rear seats as per AIS-145-2018."

[F. No. RT-11028/22/2016-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. …..(E), dated the ………………...

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.14 18:41:18 +05'30'